बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

!! कार्यालय आदेश !!

संख्या–2 / स्था0–01–19 / 2010.. / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एस0डी0आर0एफ0 के अवर निरीक्षक (आशुलिपिक) पद पर नियुक्ति हेतु एस0डी0आर0एफ0 चयनित समिति द्वारा की गई अनुशंसा और उक्त अनुशंसा में माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत उक्त पद हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा पर नियोजित किया जाता है।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	अभ्यर्थी का पत्ता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	श्री रामाधीन प्रसाद पिता– श्री बिरंची प्रसाद	रायल सिटी, डुपलेक्स कॉलोनी, बेस्ट जज कॉलोनी, आर0पी0एस0 मोड़, दानापुर कैम्प, पटना	25.12.1965	पिछड़ा वर्ग
2	श्री बलिराम सिंह पिता–स्व0 ललन सिंह	ग्राम–पुरैनिया, पोस्ट–नेउरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना	29.08.1962	सामान्य

2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तो के अधीन एस0डी0आर0एफ0 के अवर निरीक्षक (आशुलिपिक) पद पर पत्र निर्गत की तिथि से संविदा पर नियोजित किया जाता है–

I. यह नियोजन तीन वर्षो के लिए होगी। कार्य संतोषजनक रहने पर नियमानुसार दो वर्षो तक सेवाविस्तार दिया जा सकेगा।

II. नियोजित कर्मियों को एकमुश्त 25,000/– (पचीस हजार) रूपये मात्र पारिश्रमिक देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा।

III. नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक समझे जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों को देय किसी सुविधा के हकदार होंगे।

IV. नियोजित कर्मियों को बिना कोई कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना के आधार पर नियोजन से हटाया जा सकेगा।

V. नियोजित कर्मियों को किसी प्रकार का कदाचार अथवा अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा।

VI. नियोजित कर्मियों एवं नियुक्ति प्राधिकार के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा संपन्न करना अनिवार्य होगा।

3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के अंदर संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ योगदान हेतु उपस्थित हों। निर्धारित तिथि के बाद योगदान करने पर बिना कोई विशिष्ट कारण के योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुनील कुमार)
विशेष सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक............................/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव

ज्ञापांक............2006.../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 22/6/12

प्रतिलिपि–श्री राजीव कुमार सिंह, अपर सचिव/श्री रमेश चन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव/श्री एस0एस0 गुलेरिया, कमांडेंट, एन0डी0आर0एफ0, बिहटा/श्री विपिन कुमार राय, विशेष कार्य पदाधिकारी/ श्री गगन, विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखाशाखा (दो प्रतियों में), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/उपर्युक्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव

D:\2012\Office Order\Date- 15.06.12.doc